न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: **55/2023** दायर दिनाँक **22.03.2023**

वादी		**प्रतिवादी**
1. हेमाराम पुत्र रामदीनराम 2. भंवराराम पुत्र रामदीनराम 3. नानूराम पुत्र रामदीनराम समस्त जाति जाट निवासी कुकना की ढाणी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज.।	**बनाम्**	1. नारायणराम पुत्र रामदीनराम 2. चेनाराम पुत्र राजुराम 3. जयराम पुत्र तारूराम 4. गलकु पत्नी तारूराम समस्त जाति जाट निवासी कुकना की ढाणी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज.। 5. तहसीलदार डीडवाना।

राजस्व–वाद बाबत्

रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थित:–

श्री महेन्द्र खिलेरी एडवोकेट वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **11.08.2025**

राजस्व वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम कुकना की ढाणी के खेत खसरा संख्या 179 रकबा 0.0800 है., खसरा नम्बर 07 रकबा 0.1200 है. की भूमि वादी के संयुक्त खातेदारी व हक अधिकार की है। अभी वर्तमान में आये सेटलमेंट अधिकारियों ने खसरा नम्बर 179 व 07 की किस्म गै.मु.रास्ता दर्ज दी। जबकि मौके पर कभी भी कोई रास्ता दर्ज नहीं था। वास्तविक रूप से उक्त भूमि वादी की कृषि भूमि थी तथा पूर्व में राजस्व रेकर्ड में कृषि भमि रही थी तथा खसरा नम्बर 179 व 07 भूमि के राजस्व नक्शे लाईने दर्ज कर दी जो नजरी नक्शे में दर्शित मार्क ए से बी दर्शित की गई जबकि खसरा नम्बर 179 व 07 के राजस्व नक्शे में उक्त लाईने कभी भी दर्ज नही थी। उक्त भमि में वादीगण द्वारा अपने कृषि कार्य हेतु ही उपयोग उपभोग किया जाता रहा है। राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा खसरा संख्या 179 व 7 की किस्म गै.मु.रास्ता दर्ज करने तथा खसरा नम्बर 179 व 07 के राजस्व नक्शे में मार्क ए से बी लाईने दर्ज करने से वादी के जायज अधिकार खतरे में पड गये हैं तथा वादी को कृषि कार्य करने तथा अन्य कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पडता है तथा भविष्य में कई समस्याओं की सामना करने की आशंका हैं तथा खसरा नम्बर 179 व 07 का राजस्व रेकर्ड दुरूस्त करवाने हेतु दावा बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती का करना लाजमी आया है।

वादी की प्रार्थना इस प्रकार है:–

राजस्व ग्राम कुकना की ढाणी पटवार हल्का तोषीणा के खेत खसरा संख्या 179 व 07 की किस्म गै.मु.रास्ता के स्थान पर बारानी दर्ज की जावे तथा खसरा नम्बर 179 व 07 के राजस्व नक्शे से नजरी नक्शा में दर्शित मार्क ए से बी लाईने हटायी जाकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त करने के आदेश सादर फरमावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सम्मन तामिली अनुपस्थित। एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार छोटीखाटू के पत्र क्रमांक/मू.अ./[illegible] दिनांक 04.03.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई।

विद्वान अधिवक्ता वादी की [illegible] बहस सुनी गयी। [illegible] अधिवक्ता वादी ने रास्ता दुरूस्त करवाने का किये जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati

Date: 2026.04.09 17:18:39 IST

Reason: SelfAttested

Vikas

उपखण्ड अधिकारी

डीड़वाना

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन किया सरहद कुकना की ढाणी के खसरा संख्या 179 व 07 में वादी किस्म गै.मु.रास्ता के स्थान पर बारानी दुरूस्त करवाने की इस्तदुआ कर रहा है। तहसीलदार छोटीखाटू की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम कुकणा की ढाणी के खसरा संख्या 179 रकबा 0.0800 है. किस्म गै.मु.रास्ता खसरा संख्या 7 रकबा 0.1200 है. किस्म गै.मु.रास्ता वर्तमान में राजस्व रेकर्ड अनुसार तारूराम पुत्र बिड़दाराम हि. 1/2 नानूराम 1/8 नारायणराम 1/8 भंवराराम 1/8 हेमाराम 1/8 पि. रामदीनराम जाति जाट सा.देह खातेदार के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। ग्राम कुकणा की ढाणी के खसरा नम्बर 7 व 179 गै.मु.रास्ता निजी खातेदारी में दर्ज है। जो भू. प्रबन्ध विभाग द्वारा मिसल 2073 से 2092 रिकार्ड दर्ज था तथा आदिनांक तक दर्ज है। ग्राम कुकणा की ढाणी में स्थित उपरोक्त रास्ता मौके पर चालू है। तथा रास्ते के उपयोग में लिया जा रहा है। जबकि वादी गलत अंकन होने एवं रास्ते उपयोग में नहीं आने का कथन कर रहा है। वादी के कथन व साक्ष्यों में भिन्नता है इस कारण वादी किसी प्रकार की इस्तदुआ प्राप्त करने का अधिकारी नही है। तहसीलदार डीडवाना की रिर्पोट के अनुसार ग्राम कुकणा की ढाणी के खसरा नम्बर 7 व 179 गै.मु. रास्ता निजी खातेदारी में दर्ज है। जो भू. प्रबन्ध विभाग द्वारा मिसल 2073 से 2092 रिकार्ड दर्ज था तथा आदिनांक तक दर्ज है। ग्राम कुकणा की ढाणी में स्थित उपरोक्त रास्ता मौके पर चालू है। अतः उक्त रास्ते को दुरूस्त किया जाना लाजमी प्रतित नहीं होता है। अतः बाद विवेचन, वादी का हस्तगत वाद खारिज किया जाता है।

–:: आदेश ::–

सरहद कुकणा की ढाणी के खसरा संख्या 179 व 07 में किस्म गै.मु.रास्ता के स्थान पर बारानी दुरूस्ती बाबत वादी का हस्तगत वाद खारिज किया जाता है।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनॉक 11.08.2025 को सर[illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:08:38 IST
Reason: SelfAttested

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना